जल शक्ति अभियानः भारत सरकार द्वारा जल संरक्षण की अनूठी पहल

डॉ. मनीष कुमार नेमा
राष्ट्रीय जलविज्ञान संस्थान, रुड़की।

भारत एक नदी एवं कृषि प्रधान देश है। भारत में जल की उपलब्धता का समय और स्थान में अत्यधिक असमान वितरण है। देश की वार्षिक वर्षा का लगभग 80% केवल 3 से 4 महीनों में प्राप्त होता है। ब्रह्मपुत्र–बराक–गंगा नदी प्रणाली कुल सतह के जल संसाधनों का लगभग 60% है। देश के पश्चिमी और दक्षिणी क्षेत्र पानी की उपलब्धता में भारी कमी का अनुभव करते हैं। सूखा–बाढ़–सूखा साल दर साल देखा जाता है। मानसून के माध्यम से होने वाली वर्षा जिसमें बर्फबारी भी सम्मिलित है, देश में ताजे जल का मुख्य स्रोत है। देश में लगभग 4000 क्यूबिक किलोमीटर जल राशि प्रतिवर्ष वर्षा में रूप में उपलब्ध होती है। समग्र रूप से देश के लिए सभी नदी बेसिन की औसत वार्षिक उपज (water yield) 1953 क्यूबिक किलोमीटर 48.8% है। केंद्रीय भूजल बोर्ड (CGWB) के अनुसार देश में वार्षिक पुनःपूर्ति योग्य भूजल संसाधन लगभग 433 क्यूबिक किलोमीटर (10.8%) है और 1614 क्यूबिक किलोमीटर (40.3%) वाष्पन–उत्सर्जन हो जाता है। हमारे देश में जल संसाधन का वितरण असामान्य है, इसके अतिरिक्त अगर हम प्रति व्यक्ति वार्षिक औसत उपलब्धता के बारे में विचार करें तो यह लगातार कम होती जा रही है। वर्ष 1951 में औसत वार्षिक प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता 5177 क्यूबिक मीटर प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष थी जो अब वर्ष 2001 और 2011 में घटकर क्रमशः 1820 क्यूबिक मीटर और 1545 क्यूबिक मीटर रह गई है। कुछ अध्ययनों के आधार पर वर्ष 2025 और 2050 में इसके घटकर क्रमशः 1341 और 1140 क्यूबिक मीटर रह जाने की आशंका है। इसी प्रकार देश की भिन्न–भिन्न नदियों में भी ये असमानता देखी जाती है। जैसे, ब्रह्मपुत्र नदी की औसत जल उपलब्धता बहुत अधिक है जो लगभग 16590 क्यूबिक मीटर प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष है जबकि साबरमती घाटी में यह उपलब्धता सबसे कम लगभग 360 क्यूबिक मीटर प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष है।

भारतवर्ष के विभिन्न भागों में भूमिगत जल की स्थिति भी सतही जल की भांति बहुत ही विभिन्नता लिए हुए हैं यदि हम भू–आकृति के आधार पर देखें तो पाएंगे कि उत्तर में हिमालय पर्वत श्रृंखलायें, उत्तर–पूर्वी क्षेत्रों में राजस्थान की विभिन्न पहाड़ियों और मध्य एवं दक्षिणी क्षेत्र में कम गहरी ढाल वाली भूस्थितियां हैं और वहां की भूविज्ञानीय संरचना इस प्रकार है कि वहां पर वर्षा के जल के संग्रहण की संभावनाएं बहुत कम रह जाती हैं और इस कारण भूमिगत जल के पुनर्भरण की संभावना भी कम हो जाती है। सिंधु–गंगा और ब्रह्मपुत्र के मैदानी इलाको में ही सबसे अधिक भूमिगत जल का पुनर्भरण संभव है। देश के समस्त मध्य एवं दक्षिण भारतीय क्षेत्र चट्टानों से भरे हुये हैं और यहाँ की नदियां भी केवल मॉनसून वर्षा पर आश्रित हैं।

जल एक पुनर्जीवन योग्य साधन है किंतु यह सीमित है। हड़प्पा की सभ्यता काल में जो जल संसाधन हमारे पास थे लगभग उतने ही आज भी हैं किंतु इनकी मांग में कई गुना वृद्धि हो चुकी है। आज की सबसे बड़ी समस्या मीठे जल की कमी तथा उसकी गुणवत्ता का अवमूल्यन है। इसलिए जल संरक्षण के संबंध में आवश्यक उपायों की ओर कदम उठाए जाने अति आवश्यक हो गये हैं।

भारत में विश्व की लगभग 17 प्रतिशत आबादी निवास करती है और मात्र 4 प्रतिशत मीठे पानी के संसाधनों की उपलब्धता है। हालाँकि, वर्तमान में भारत दुनिया का दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश है किन्तु इंटरगवर्नमेंटल पैनल जलवायु परिवर्तन (आईपीसीसी) द्वारा भारत को

अंतरराष्ट्रीय मानकों के आधार पर जल तनावग्रस्त देश के रूप में नामित किया गया है। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन (FAO) के 2017 के अध्ययन के अनुसार भारत की प्रति व्यक्ति जल भंडारण क्षमता बहुत कम है और यहां केवल 8% वार्षिक वर्षा को ही संग्रहीत किया जाता है। एक प्रमुख अनाज उत्पादक के रूप में भी भारत चीन, अमेरिका और इजरायल आदि देशों की तुलना में फसलों के लिए 3–5 गुना अधिक पानी का उपयोग करता है। भूजल पर भारी निर्भरता, कमजोर मॉनसून, जनसंख्या वृद्धि के कारण पानी की निरंतर बढ़ती मांग, तेजी से होते शहरीकरण और औद्योगीकरण और कृषि जल का अनुपातहीन उपयोग आदि ने सम्पूर्ण देश का जल प्रबंधन पर काफी तनाव एवं दबाब बना दिया है। माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से सरकार भारत के जल शक्ति मंत्रालय ने जल शक्ति अभियान (JSA) शुरू किया है। जिसका मुख्य उद्देश्य भारत में जल संरक्षण प्रणाली विकसित करना तथा दक्ष सिचाई पद्धति को प्रोत्साहित करना है।

जलशक्ति मंत्रालय का गठन

जल की महत्ता को सर्वोपरि रखते हुए नई केंद्र सरकार द्वारा देश में नया जल शक्ति मंत्रालय बनाया गया है। इससे पानी से संबंधित सभी विषयों पर शीघ्रता से निर्णय लिए जा सकेंगे। जल जीवन मिशन के तहत 2024 तक सभी घरों में "हर घर जल" के लिए राज्यों के साथ मिलकर जल शक्ति मंत्रालय काम करेगा। देशभर में उभरे जल संकट का सामना करने के लिए केंद्र सरकार ने हर संभव प्रयास करने की शपथ ली है। हर किसी को साफ पेयजल उपलब्ध कराने और जल संसाधनों के प्रबंधन के उद्देश्य से जल शक्ति मंत्रालय को बनाया गया है। जलशक्ति मंत्रालय (Jalshakti Ministry) का सृजन दो मंत्रालयों का विलय करके किया गया है, ये दोनों मंत्रालय हैं:–

- जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय (Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation)
- पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय (Ministry of Drinking Water and Sanitation)

जल संबंधी सभी कार्य अब इस मंत्रालय के दायरे में आते हैं। इससे पहले कई केंद्रीय मंत्रालयों द्वारा जल संबंधी कार्यों का निर्वहन अलग–अलग किया जाता था जैसे– पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत अधिकांश नदियों के संरक्षण का कार्य किया जाता है, आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा शहरी जलापूर्ति की देख–रेख की जाती है तथा सूक्ष्म सिंचाई परियोजनाएँ कृषि मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं।

स्वयं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अपनी मन की बात कार्यक्रम में नागरिकों को जल संरक्षण के लिए हाथ मिलाने और स्वच्छ भारत मिशन की तर्ज पर एक जन–आंदोलन बनाने और भविष्य को सुरक्षित करने का आहवान किया था। प्रधानमंत्री ने कहा था, "जल संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले व्यक्तियों का, स्वयं सेवी संस्थाओं का और इस क्षेत्र में काम करने वाले हर किसी का, उनकी जो जानकारी हो, उसे आप और लोगो के साथ साझा (शेयर) करे।

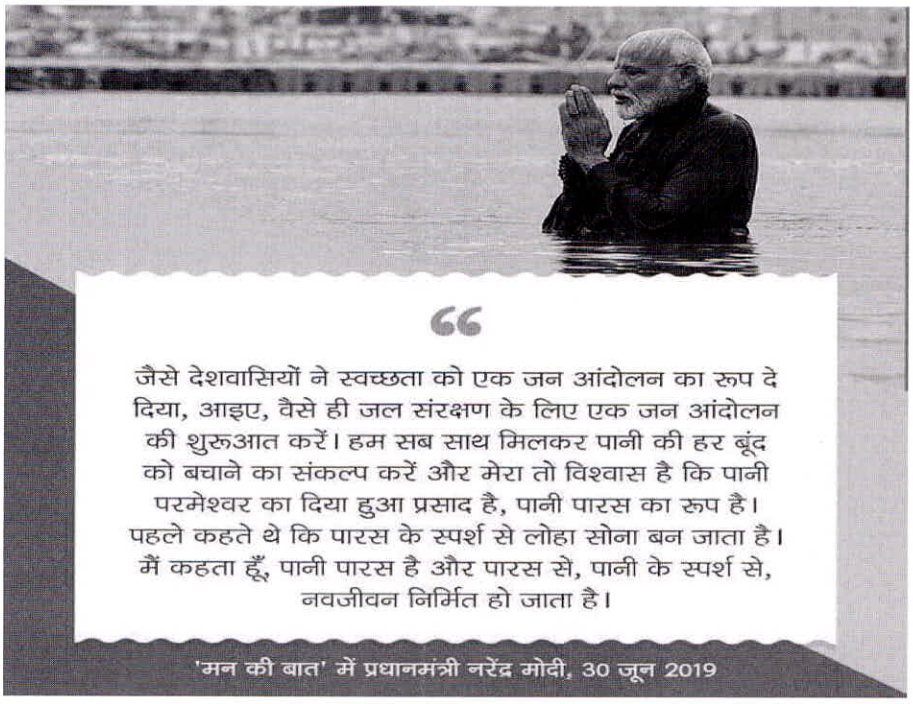

चित्र 1. 30 जून 2019 को मन की बात कार्यक्रम में माननीय प्रधानमंत्री के उद्‌बोधन के कुछ अंश

उन्होंने अलग–अलग क्षेत्र की हस्तियों को जल संरक्षण के क्षेत्र में नवोन्मेषी अभियान चलाने का आग्रह भी किया था। फिल्म जगत, खेल जगत, मीडिया के साथी हों, सामाजिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्र के लोगों से जुड़े लोग हों या कथा कीर्तन करने वाले लोग, हर कोई अपने–अपने तरीके से इस आंदोलन का नेतृत्व करे। प्रधानमंत्री जी कहना था कि जिस तरह देशवासियों ने स्वच्छता अभियान को एक आंदोलन बनाया, उसी तरह अब पानी की समस्या को भी एक आंदोलन के तौर पर देखना होगा। प्रधानमंत्री जी द्वारा हाल ही में 2.3 लाख से अधिक ग्राम सरपंचों को वर्षा जल संचयन, तालाबों और गांवों की टंकियों के रखरखाव और पानी के संरक्षण के लिए काम करने हेतु पत्र लिखे गए। उन्होंने कहा कि हमारे देश में वर्षा जल का सिर्फ 8 फीसद ही संरक्षित किया जाता है। पीएम मोदी ने लोगों से अनुरोध किया कि पूरा देश इकट्ठा होकर जल संरक्षण की मुहिम को आगे बढ़ाए। सरकार का लक्ष्य हर घर में प्राथमिकता से टिकाऊ तरीके से पीने का पानी उपलब्ध कराना है। जल संरक्षण अभियान से जल संरक्षण के लिए लोगों में सकारात्मक बदलाव लाना चाहिए।

जल शक्ति अभियान की शुरुवात

केंद्र सरकार ने जल संरक्षण को लेकर 01 जुलाई 2019 को जल शक्ति अभियान की शुरुआत कर दी है। इस जल शक्ति अभियान का मुख्य उद्देश्य जल संरक्षण के लाभों के बारे में जागरूकता पैदा करना और जल संसाधनों की कमी और भारत में हर घर में नल का पानी उपलब्ध कराना है। इस अभियान के अंतर्गत देश के सभी 36 राज्यों में स्थित 256 जिलों के अधिक प्रभावित 1592 खंडों (ब्लॉक) को जल संरक्षण के लिए चिह्नित किया गया है। इन में से 313 ब्लॉक गंभीर (Critical), 1186 ब्लॉक अति शोषित (Over Exploited) श्रेणी में आते हैं तथा 94 ऐसे ब्लॉक हैं जहाँ भूजल की उपलब्धता बहुत कम है। यह अभियान दो चरणों में चलेगा।

पहला चरण : 1 जुलाई, 2019 से 15 सितंबर, 2019 (सभी राज्यों के लिए)

द्वितीय चरण : 1 अक्टूबर, 2019 से 30 नवंबर, 2019 (उत्तर–पूर्व मानसून वर्षा प्रभावित राज्य/केंद्र शासित प्रदेश आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, और पुदुचेरी,)

चित्र 2. जलशक्ति अभियान के अंतर्गत चिह्नित जल–तनावग्रस्त जिले (पीला रंग आकांक्षी जिले को प्रदर्शित करता है)

अभियान का केंद्र बिन्दु पानी के दबाव वाले जिलों और ब्लॉकों पर होगा। उल्लेखनीय है कि बीते कुछ साल में देश के कई हिस्सों में भूजल स्तर (पानी का ग्राउंड लेवल) काफी नीचे गया है, जो अत्यन्त चिंतनीय है। वर्तमान समय में चेन्नई इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण है, जहां पर जलाशय, झीलें सूख गई हैं और ग्राउंड लेवल पानी भी काफी कम है। यही कारण है कि वहां पर पीने के पानी का संकट देखने को मिल रहा है।

केंद्र की ओर से इन चिह्नित 256 जिलों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जल संरक्षण (वाटर कंजर्वेशन) और जल प्रबंधन (वाटर मैनेजमेंट) जैसी चीज़ों को बढ़ावा दिया जाएगा। इनमें से 23 जिले आकांक्षी जिले (Inspirational Districts) हैं। सरकार की ओर से बारिश के पानी को किस तरह बचाया जाए, उसका इस्तेमाल कैसे किया जाए। इनको लेकर नीतियां लागू की जाएंगी, साथ ही साथ लोगों को इस बारे में जानकारी भी दी जाएगी।

जल शक्ति अभियान पेयजल और स्वच्छता विभाग के सहयोग से विभिन्न मंत्रालयों और राज्य सरकारों का एक सहयोगात्मक प्रयास है। जल शक्ति अभियान (JSA) एक समयबद्ध अभियान है। इसे एक मिशन मोड दृष्टिकोण के साथ पूरा करने का इरादा है। अभियान के दौरान, केंद्र सरकार के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, भूजल विशेषज्ञ, जल–वैज्ञानिक और जिला प्रशासन मिलकर टीम के रूप में काम करेंगे। वर्तमान में इस अभियान में राष्ट्रीय जलविज्ञान संस्थान के लगभग 32 वैज्ञानिकों की महत्वपूर्ण भूमिका है। जल शक्ति अभियान (JSA) के मुख्य लक्ष्य जल संरक्षण और संवर्धन करना, दक्ष सिचाई पद्धति का प्रचार और संचार के विभिन्न माध्यमों से जल शक्ति अभियान को एक जन–आन्दोलन में परिणित कर देना है।

जलशक्ति अभियान के अंतर्गत अधिकारियों को जल शक्ति मंत्रालय द्वारा निर्धारित पांच जल संरक्षण बिंदु सुनिश्चित करने का काम सौंपा जाएगा।

1. जल संरक्षण व वर्षा के पानी को रोकना
2. पारंपरिक व अन्य जलस्रोतों का पुनरूद्धार
3. पानी का पुनः उपयोग व जलसंरचनाओं की रिचार्जिग
4. वॉटरशेड का विकास और
5. व्यापक पौधरोपण।

इन निर्धारित पांच जल संरक्षण बिंदु के अतिरिक्त निम्नलिखित विशेष हस्तक्षेप भी किए जाएंगे:

1. ब्लॉक और जिला जल संरक्षण योजनाओं का विकास (जिला सिंचाई योजनाओं के साथ एकीकृत होना)।
2. कृषि विज्ञान केन्द्रों के माध्यम से किसान मेलो का आयोजन करना ताकि सिंचाई के लिए जल के कुशल उपयोग को बढ़ावा दिया जा सके।
3. टीमों को सहयोग प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर वैज्ञानिकों और IIT के प्रोफेसरों को जुटाया जाएगा।

   अतिरिक्त सचिवों व संयुक्त सचिवों के नेतृत्व में केंद्र सरकार के अफसरों को 256 जिलों में जलशक्ति अभियान चलाने का जिम्मा सौंपा गया है। जिला प्रशासन भी अपने दो सदस्य इन टीमों के साथ जोड़ेगा। सभी टीमें आवंटित किए गए ब्लॉकों के सभी संभव गांवों का दौरा करते हुए 3 दिनों की न्यूनतम 3 यात्राएं करेंगी। कृषि विज्ञान मेलों और जिला जल संरक्षण योजनाओं के जरिए भी अभियान को मजबूती दी जाएगी। शहरी इलाकों में उद्योगों व खेती के लिए बर्बाद पानी के पुनः उपयोग को बढ़ावा देने के लिए समयबद्ध लक्ष्य तय किए जाएंगे।

जल शक्ति अभियान के प्रमुख बिंदु

1. कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, इस अभियान में अंतरिक्ष, पेट्रोलियम एवं रक्षा क्षेत्रों से अधिकारियों को शामिल किया जाएगा।
2. इस अभियान को दक्षिण–पश्चिम मानसून के दौरान वर्षा प्राप्त करने वाले राज्यों में 1 जुलाई से 15 सितंबर तक जबकि उत्तर–पूर्व मानसून से वर्षा प्राप्त करने वाले राज्यों में 1 अक्तूबर से 30 नवंबर तक संचालित किया जाएगा।
3. इसके अंतर्गत गंभीर रूप से जल स्तर की कमी वाले 313 ब्लॉक शामिल किये जाएंगे। 1,186 ऐसे ब्लॉक भी शामिल किये जाएंगे जहाँ भूजल का अत्यधिक दोहन हुआ है। साथ ही 94 ज़िले ऐसे हैं जहाँ भूजल स्तर काफी नीचे चला गया है।
4. जल शक्ति अभियान का उद्देश्य महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना और ग्रामीण विकास मंत्रालय के एकीकृत जलसंभरण प्रबंधन कार्यक्रम के साथ–साथ जल शक्ति और पर्यावरण मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही मौजूदा जल पुनर्भरण और वनीकरण योजनाओं के तहत जल संचयन, संरक्षण और पुनर्भरण गतिविधियों में तेज़ी लाना है।

5. मोबाइल एप्लिकेशन के ज़रिये इस कार्यक्रम की रियल टाइम निगरानी की जा सकेगी तथा इसे indiawater-gov.in के डैशबोर्ड पर भी देखा जा सकेगा।
6. इस योजना के तहत ब्लॉक और ज़िला स्तर पर जल संरक्षण योजना (Water Conservation Plan) का मसौदा तैयार किया जाएगा।
7. बेहतर फसल विकल्पों एवं सिंचाई के लिये जल के अधिक कुशल उपयोग को बढ़ावा देने हेतु किसान विज्ञान केंद्र द्वारा मेले का आयोजन किया जाएगा।
8. सभी स्वयं सहायता समूह, पंचायती राज संस्थान के सदस्य और स्वेच्छाग्रही भी इस अभियान में शामिल होंगे और सामुदायिक संचार एवं प्रसार में सहयोग प्रदान करेंगे ।